न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 01/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– बाय।

प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

मैसर्स श्री सांई स्टोन कटिंग उद्योग, भागीदार नाहर सिंह पुत्र माधो सिंह, एवं गुमाना राम जाट पुत्र रतना राम जाट, निवासी ग्राम रूलाना, बाजयावास रोड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)।

ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः २५ जनवरी, 2019

5. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **मनीष कुमार शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स श्री सांई स्टोन कटिंग उद्योग, भागीदार नाहर सिंह पुत्र माधो सिंह, एवं गुमाना राम जाट पुत्र रतना राम जाट,** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि जो खसरा नम्बर 76/2 का भाग है ग्राम रूलाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है जो नाहर सिंह एवं गुमाना राम जाट के नाम से है। जिसका कुल क्षैत्रफल 600.00 वर्गमीटर है,** को बंधक रखकर **14,85,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **चौदह लाख पिच्चासी हजार**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **13.08.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

7. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.08.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

9. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैसर्स श्री सांई स्टोन कटिंग उद्योग, भागीदार नाहर सिंह पुत्र माधो सिंह, एवं गुमाना राम जाट पुत्र रतना राम जाट** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि जो खसरा नम्बर 76/2 का भाग है ग्राम रूलाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है जो नाहर सिंह एवं गुमाना राम जाट के नाम से है। जिसका कुल क्षैत्रफल 600.00 वर्गमीटर है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

10. आदेश आज दिनांकः 25 **जनवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner